न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 21/2013

श्री सुशील कुमार जैन पुत्र श्री जंवरीलाल जैन निवासी–213–ए, सदर बाजार नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला–अजमेर। ....**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर। .... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री नौरतमल जैन — अभिभाषक अपीलार्थी0
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 31.01.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2069 में श्री सुशील कुमार जैन पुत्र श्री जंवरीलाल जैन निवासी–213–ए, सदर बाजार नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला–अजमेर द्वारा ग्राम बलवन्ता तहसील व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 1473/1333 में से रकबा 1–19–00 बीघा व खसरा नं0 1336 में से रकबा 00–15–00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से दुकान व दीवार निमार्ण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 143/2013 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 13.6.2013 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर उपलब्ध सामग्री को जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 13.06.2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि है जिस पर उनका पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पिता श्री जंवरीलाल द्वारा चार दीवारी एवं कोटडियों का निर्माण उनमें खेती का सामान रखने एवं भूमि की सुरक्षा हेतु करवाया गया था जो काफी पुराना होने से राज्य सरकार के आवंटन/नियमन के नियमों के अनुरूप छोटी पट्टी के रूप में नियमन किये जाने योग्य है। उन्हौने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलार्थी के पिता जंवरीलाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके समस्त वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य वारिसान को बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। उन्हौने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये बिना, अपीलार्थी के पुश्तैनी कब्जे संबधी जांच एवं साक्ष्य सुनवाई

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2013 निरस्त किया जावें एवं अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में नियमन किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2013 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

31/01/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर